



SITAPUR POLICE

“सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा”



प्रेस नोट-जनपद सीतापुर

थाना रामकोट पुलिस को मिली बड़ी सफलता:

नशे के काले कारोबार पर पुलिस की सख्त नजर, सलाखों के पीछे पहुंचे तस्कर

30 किलो 450 ग्राम अवैध गांजे के साथ अर्टिका कार सवार 03 शातिर तस्कर गिरफ्तार

दिनांक 18.10.26

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद सीतापुर के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार यादव महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के क्रम में थाना रामकोट पुलिस द्वारा आज दिनांक 18.10.2026 को चेकिंग के दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 किलो 450 ग्राम अवैध गांजे और परिवहन में प्रयुक्त एक अर्टिका कार (नंबर UP32 TT3249) के साथ 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण:-आज दिनांक 18.10.2026 को थाना रामकोट पुलिस टीम, गोकुल नगर सैरैया तिराहा (रामाश्री के ट्यूबले के सामने) बहद ग्राम प्रतापपुर के पास संदिग्ध व्यक्ति, वाहन चेकिंग व तलाश वांछित में मामूर थी। इसी दौरान अल्लीपुर अलीरजा की तरफ से आ रही सफेद रंग की अर्टिका कार (संख्या UP32 TT3249) को रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन चालक तेजी से भागने लगा, जिसे पुलिस टीम ने सूझबूझ व हिकमत अमली से तिराहे पर घेरकर मौके पर ही रोक लिया।

श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर महोदय, सीतापुर की उपस्थिति एवं नियमानुसार एनडीपीएस एक्ट व बीएनएस के प्रावधानों का पालन करते हुए वाहन की तलाशी ली गई, तो कार की डिग्गी एवं तीसरी सीट पर रखी दो प्लास्टिक की बोरियों से कुल 30 किलो 450 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ जिसकी अनुमानित कीमत करीब 4.5 लाख रुपये आंकी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. कमलेश यादव पुत्र जगताराम यादव, निवासी ग्राम माधवपुर, थाना फखरपुर, जिला बहराइच (वाहन स्वामी एवं चालक)।
2. लालाराम यादव पुत्र स्व० रामपदारथ यादव, निवासी ग्राम माधवपुर, थाना फखरपुर, जिला बहराइच।
3. लवलेश मिश्रा पुत्र शिवकुमार मिश्रा, निवासी भगवानपुर चौराहा, थाना हरदी, जिला बहराइच।

बरामदगी की कुल सामग्री:-

- अवैध गांजा: 30 किलो 450 ग्राम (दो प्लास्टिक की बोरियों में बोरी सहित)।
- परिवहन में प्रयुक्त वाहन: 01 अदद अर्टिका कार (संख्या UP32 TT3249)।

- मोबाइल फोन: कुल 03 अदद एंड्रॉइड मोबाइल फोन (विभिन्न कंपनियों के)।

पूछताछ का विवरण:-कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि वे इस अवैध गांजे को कार में छिपाकर हरदोई की तरफ बेचने के लिए ले जा रहे थे। अभियुक्तों के इस कृत्य के संबंध में थाना रामकोट पर सुसंगत धाराओं (अंतर्गत धारा 8/20 NDPS Act) में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:उ0नि0 विनोद कुमार गौतम,उ0नि0 राजेश कुमार राय,का0 शुभम तोमर,,का0 अश्वनी ढाका,का0 रोबिन सिंह,का0 नितिन कुमार, का0 सनी

